

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना - जहानगंज

दि0-22.05.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.सुशील जाटव पुत्र रामदास निवासी भटपुरा थाना शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद 2.शिवम पुत्र रमेश नागर निवासी घसुआ भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध मु०अ०स०- 262/2017 वाद संख्या 187/2017 धारा 364ए भा०द०वि० थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे तृतीय द्वारा दिनांक 22.05.2026 को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा व 50000-50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री अनुज प्रताप सिंह



को० मो० - हे०का० हरवेन्द्र सिंह



पैरोकार - का० मोहित कुमार



नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलम्बन

फतेहगढ़ पुलिस



* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण *

#OperationConviction

थाना - जहानगंज

दिनांक-22.05.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त प्रधुम्न राजपूत पुत्र नकुल राजपूत निवासी नीवलपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0-08/2024 वाद संख्या 206/2025 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 22.05.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेज सिंह



एडीजीसी - श्री विक्रम कटियार



को0 मो0 म0 का0 प्राची



पैरोकार - का0 मोहित कुमार